रेल दावा न्यायाधिकरण
जयपुर न्यायपीठ
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
JAIPUR BENCH

वाद संख्या: ओ.ए./II/U/100/2020

पीठासीन: उमेश कुमार शर्मा सदस्य (न्यायिक)
झंजा त्रिपाठी सदस्य (तकनीकी)

संस्थन की तिथि:13.03.2020
निर्णय की तिथि: 04.04.2024

हरकौर, आयु 78 वर्ष
पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर
निवासी—मकान नंबर 75, वाद पन्ना,
मुन्धेला कलां, साउथ वेस्ट दिल्ली ......वादिया

बनाम

भारत संघ,
द्वारा महाप्रबंधक,
उत्तर—पश्चिम रेलवे,जयपुर .....प्रतिवादी

दावा राशि: 8,00,000/— मय ब्याज

उपस्थित: वादिया के लिए— श्री राजेश पंडा, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए—श्री अरविन्द कुमार पारीक, अधिवक्ता

निर्णय
JUDGEMENT

श्री उमेश कुमार शर्मा, (सदस्य न्यायिक)

1. वादिया ने क्लेम याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा – 16 के अन्तर्गत अपने पुत्र मिथिलेश कुमार की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कुल

Scanned with OKEN Scanner

8,00,000/- एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार, मृतक मिथिलेश कुमार अपनी माता हरकौर व गांव के अन्य व्यक्ति जोधपुर सजाड़ा धाम दर्शन करने गए थे। सजाड़ा धाम में दर्शन करने के पश्चात् मृतक मिथिलेश कुमार अपनी माता हरकौर को वापस घर जाने की कहकर दिनांक 09.03.2020 को रेलवे स्टेशन जोधपुर आया। मृतक मिथलेश कुमार जोधपुर से एक द्वितीय श्रेणी का यात्रा टिकट जोधपुर से गुडगांव का दिनांक 09.03.2020 को लेकर जोधपुर से गुड़गांव जाने वाली यात्री गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में जोधपुर से गुड़गांव की यात्रा के लिए रवाना हुआ। जब उक्त गाड़ी फुलेरा व हिरनोदा रेलवे स्टेशनों के मध्य से गुजर रही थी तो अकस्मात संतुलन बिगड़ जाने से मिथलेश कुमार उक्त चलती गाड़ी के डिब्बे में से किलोमीटर नंबर 288/4 के पास गिर गया, इस प्रकार अकस्मात ट्रेन के डिब्बे में से नीचे गिरने से मिथलेश कुमार के शरीर पर गंभीर चोटे आई। मिथलेश कुमार को घायल अवस्था में 108 एम्बूलेंस से राजकीय चिकित्सालय, फुलेरा ले जाया गया, जहां दौराने इलाज मिथलेश कुमार की ट्रेन से गिरने से आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। जीआरपी द्वारा घटना की सूचना मृतक के पास मिले मोबाईल के आधार पर मृतक के बड़े भाई रजनेश को दी। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजन अस्पताल पहुंचे। जीआरपी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद एवं मृतक की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतक मिथलेश कुमार की लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु

मृतक के बड़े भाई रजनेश को सुपुर्द कर दी। परिवारजन मृतक मिथलेश कुमार की लाश लेकर गांव आ गये, जहां मृतक की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

3. प्रतिवादी ने लिखित कथन में दावा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को इनकार करते हुए कथन किया कि मृतक घटना के दिन ट्रेन का सद्भावी यात्री नहीं था और ना ही उसके साथ दुर्घटना चलती ट्रेन से गिरने के कारण हुई थी। उपरोक्त घटना के संबंध में दौराने जांच गवाहान के बयानों एवं उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेज के अनुसार संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में मृतक के पास किसी प्रकार का रेल यात्रा टिकट नहीं मिला यदि, टिकट होता तो घटना स्थल पर अवश्य मिलता। यह तथ्य विश्वास करने योग्य नहीं है कि मात्र यात्रा टिकट चयनित रूप से खो जाए जबकि अन्य सामानों(मोबाइल फोन इत्यादि) जामा तलाशी में मिल जाए। सम्पूर्ण जांच में मृतक को टिकट खरीदते, गाड़ी में बैठते हुए देखने वाला कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रार्थिया द्वारा अपनी क्लेम याचिका में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि मृतक कौन सी गाड़ी से यात्रा कर रहा था। इस प्रकार मात्र रेलवे ट्रैक के पास लाश मिलने से यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक ट्रेन से यात्रा करते हुए गिर गया हो, इसलिए वादिया की क्लेम याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

<u>वाद बिन्दु</u>

4. पक्षकारों के अभिवचनों व दस्तावेजो के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 21.06.2021 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित गये:

Scanned with OKEN Scanner

1) क्या मृतक प्रश्नगत रेल गाड़ी का सद्भावी यात्री था ?

2) क्या मृतक की मृत्यु से सम्बन्धित घटना रेलवे अधिनियम की धारा–123 (सी) सपठित धारा 124– ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है ?

3) क्या वादिया मृतक की आश्रित हैं ?

4) वादिया किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

5. क्लेम प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृतक की माता हरकौर ने स्वयं का शपथ पत्र (ए डब्ल्यू – 1) मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा वादिया से दिनांक 01.06.2022 को प्रति परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त वादिया की ओर से इस दावे के समर्थन में, साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए गए है :

क.सं.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	प्रमाणित प्रति मृग रिपोर्ट	प्रदर्श–1
2.	प्रमाणित प्रति नक्शा मौका घटना स्थल	प्रदर्श–2
3.	प्रमाणित प्रति फर्द पंचायतनामा, सूरत हाल लाश व शिनाख्ती	प्रदर्श–3
4.	प्रमाणित प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श–4
5.	प्रमाणित प्रति फर्द सुपुर्दगी लाश	प्रदर्श–5
6.	प्रमाणित प्रति बयान श्री रजनीश	प्रदर्श–6
7.	प्रमाणित प्रति बयान श्रीमती हर कौर	प्रदर्श–7
8.	मृत्यु प्रमाण पत्र	प्रदर्श–8
9.	सत्य प्रति आधार कार्ड	प्रदर्श–9
10	सत्य प्रति आधार कार्ड	प्रदर्श–10
11.	सत्य प्रति खाद्य सुरक्षा कार्ड	प्रदर्श–11

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रतिवादी रेलवे द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र, डीआरएम रिपोर्ट एवं स०उ०नि०, रे.सु. ब. फुलेरा की जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत की। प्रतिवादी रेलवे ने साक्ष्य के रूप में गोपीराम वर्मा, जांच अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट फुलेरा (RW-1) एवं उम्मेद सिंह, उपनिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल, दौसा (RW-2) को पेश किया, जिससे वादिया के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.10.2022 एवं 03.08.2023 को प्रति परीक्षण किया गया।

7. उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् विवाधकों की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण
Decision with Reasons

वाद बिन्दु संख्याः– 01

8. वादिया की ओर मृतक की माता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मेरे पुत्र मृतक मिथिलेश कुमार ने जोधपुर से एक द्वितीय श्रेणी का यात्रा टिकट जोधपुर से गुडगांव का दिनांक 09.03.2020 को खरीदा। मेरे पुत्र का यात्रा टिकट इस आकस्मिक घटनाक्रम में कहीं गिर गया या खो गया। मेरे पुत्र मिथलेश कुमार का बैग भी नहीं मिला। मेरा पुत्र मिथलेश कुमार घटना के दिन ट्रेन का सद्‌भावी यात्री था।

9. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस के कथन किया कि घटना दिनांक 09.03.2018 को मृतक मिथलेश कुमार के पास से कोई वैद्य रेल यात्रा प्राधिकार पत्र/टिकट प्राप्त नहीं हुआ था एवं ना ही मृतक को रेल

Scanned with OKEN Scanner

यात्रा करते किसी व्यक्ति/सहयात्री ने नही देखा। मृतक रेल का सद्‌भावी यात्री नही था, इसलिए मृतक मिथलेश अधिनियम 1989 की धारा 2(29) के यात्री की परिभाषा में नहीं आता है।

10. यहां यह उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 (29) मे यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2 (29) – यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

11. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन के उपरान्त वादिया की ओर से मृतक की माता हरकौर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर मृतक घटना के दिन टिकट लेकर यात्रा कर रहा था, परन्तु इस आकस्मिक घटनाक्रम में टिकट कहीं गिर गया। मृतक की माता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण के दोरान कथन किया कि "मिथिलेश मेरा बेटा था। मिथिलेश के साथ घटना नौ तारीख को हुई थी। मिथिलेश जोधपुर से गुडगांव की यात्रा कर रहा था। घटना हिरनोदा फुलेरा के बीच हुई थी। टिकट बैग में था। बैग गुम हो गया था। इसी प्रकार अंत में कथन किया कि मेरा बेटा टिकट लेकर चल रहा था। न्यायालय के समक्ष प्रति परीक्षण के दौरान मृतक की माता ने किसी भी प्रकार का विरोधाभासी कथन नहीं किया जिससे यह साबित होता है कि मृतक घटना के दिन ट्रेन में टिकट लेकर ही यात्रा ना कर रहा हो।"

12. भारत संघ बनाम रीना देवी (2018 ए सी जे 1441) के फैसले के पैरा 17.4 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि :

Scanned with OKEN Scanner

"रेलवे परिसर में किसी शव के पाये जाने मात्र से यह निर्णायक नहीं होगा कि घायल या मृतक एक स्वाभाविक यात्री था जिसके लिए प्रतिकर का दावा कायम रखा जा सके। हालांकि, ऐसे घायल या मृतक के पास टिकट न होने मात्र से यह दावा खारिज नहीं किया जाएगा। वह एक स्वाभाविक यात्री था इसका प्रारंभिक बोझ दावेदार पर होगा जिसे वह सुसंगत तथ्यों द्वारा शपथपत्र दे कर मुक्त कर सकता है और फिर यह बोझ रेलवे प्रशासन पर स्थानांतरित हो जाएगा और विवाधक का निर्णय उपस्थित तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर निपटाना होगा। इस संबंध में कानूनी स्थिति तदनुसार स्पष्ट की जाती है।"

13. इस तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादी रेलवे पर था, प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जिससे यह साबित होता हो कि मृतक घटना के दिन टिकट लेकर यात्रा नहीं कर रहा हो। अतः वादिया की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र व न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण से यह साबित हो जाता है कि मृतक घटना के दिन टिकट लेकर ही यात्रा कर रहा था। प्रतिवादी इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतः असफल हुए है कि दुर्घटना के समय मृतक के पास वैध यात्रा टिकट नहीं था। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 तदनुसार सकारात्मक रूप से वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादी रेलवे के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या : 02

Scanned with OKEN Scanner

14. वादिया के अधिवक्ता ने अभिकथन किया है कि मैं, मेरा पुत्र मृतक मिथलेश कुमार व गांव के अन्य व्यक्ति सभी जोधपुर सजाड़ा धाम दर्शन करने गए थे। सजाड़ा धाम में दर्शन करने के पश्चात मेरा पुत्र मृतक मिथलेश कुमार गुड़गांव वापस घर जाने की कह कर दिनांक 09.03.2020 को रेलवे स्टेशन जोधपुर आया। मेरा पुत्र मिथलेश कुमार जोधपुर से एक द्वितीय श्रेणी का यात्रा टिकट जोधपुर से गुड़गांव का दिनांक 09.03.2020 को लेकर जोधपुर से गुड़गांव जाने वाली यात्री गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में यात्रा के लिए रवाना हुआ, जब उक्त गाड़ी फुलेरा व हिरनोदा रेलवे स्टेशनों के मध्य से गुजर रही थी तो अकस्मात संतुलन बिगड़ जाने से मिथलेश कुमार उक्त चलती गाड़ी के डिब्बे में से किलोमीटर नंबर 288/4 के पास गिर गया, इस प्रकार अकस्मात ट्रेन के डिब्बे में से नीचे गिरने से मिथलेश कुमार के शरीर पर गंभीर चोटें आई। मिथलेश कुमार को घायल अवस्था में 108 एम्बूलेंस से राजकीय चिकित्सालय, फुलेरा ले जाया गया, जहां दौराने इलाज मिथलेश कुमार की ट्रेन से गिरने से आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। मृतक के साथ दुर्घटना चलती ट्रेन से गिर जाने के कारण हुई है।

15. इसके विपरीत प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि मृतक मिथलेश को ना ही किसी ने गाड़ी में बैठते या चलती गाड़ी से गिरते हुए देखा और न ही किसी प्रकार की गाड़ी की कोई चैन पुलिंग हुई। वादिया द्वारा क्लेम याचिका में मृतक किस गाड़ी से यात्रा कर रहा था उसका उल्लेख किया है। मृतक का शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने से यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक ट्रेन में यात्रा करते हुए गिर गया। जिससे स्पष्ट होता है कि

Scanned with OKEN Scanner

मृतक का रेलवे अधिनियम की धारा 123(सी)(2) के तहत चलती गाड़ी से गिरना साबित नहीं होता है। मृतक के साथ दुर्घटना स्वयं की लापरवाही के कारण घटित हुई है। अंत में न्यायालय से क्लेम याचिका को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

16. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (ग) अप्रत्याशित घटना को परिभाषित करती है। रेल दावा अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत अप्रत्याशित घटना का तात्पर्य है – *"यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना"*

17. डीआरएम रिपोर्ट के निष्कर्ष अनुसार :–"घटना के संबंध में की गई जांच के दौरान दर्ज बयानात व एकत्रित दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार स्पष्ट है कि मृतक मिथिलेश कुमार को किसी भी सवारी गाडी से फुलेरा–हिरनोदा स्टेशन के मध्य गिरते हुए देखने वाला कोई चश्मदीद गवाह सम्पूर्ण जांच में सामने नहीं आया मृतक घटना दिनांक 09.03.2020 को रेल का सद्भावी यात्री नहीं था। अतः रेल अधिनियम की धारा 124 "क" के अनुसार वादी रेलवे से क्लेम के हकदार नहीं है"।

18. इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी रेलवे द्वारा किसी प्रकार की ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिसने घटना को होते हुए देखा हो या घटना का चश्मदीद गवाह हो। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों में भी मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरने के कारण होना ही प्रतीत होता है। अतः उपरोक्तानुसार यह विवाद्यक वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

19. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि मृतक मिथलेश के साथ दुर्घटना यात्री गाड़ी के डिब्बे में से नीचे गिरने के कारण हुई है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(ग)(2) के अंतर्गत अनपेक्षित घटना की श्रेणी में आता है।

<u>वाद बिन्दु 3 एवं 4</u>

20. अप्रिय दुर्घटना में मृतक की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक की माता द्वारा क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई जिसने अपने शपथ पत्र के द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रस्तुत वादिया ही मृतक की आश्रित हैं। वादिया ने आश्रितता को सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से वादिया की आश्रितता के विषय में वादिया के मामले को खंडित किए जाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, दावा आवेदन के लंबित रहने के दौरान, इस अधिकरण के समक्ष किसी ने भी उपस्थित होकर मृतक पर आश्रित होने या एकमात्र आश्रित होने के संबंध में कोई दावा नहीं किया है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकलता है कि मौजूदा वादिया ही मृतक की आश्रित है।

आदेश
ORDER

21. वादिया के दावा आवेदन को अनुमति दी जाती है। प्रत्यर्थी रेलवे प्रशासन को क्षतिपूर्ति के रूप में दुर्घटना की तिथि अर्थात् 09.03.2020 से राशि प्रदान

Scanned with OKEN Scanner

करने की तिथि तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ वादिया को 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रूपए) की राशि भुगतान किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

22. वादिया को क्षतिपूर्ति की कुल निर्णत राशि अर्थात् 8,00,000/- (आठ लाख रूपए) का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा :-

वादिया का नाम	वादिया के बचत खाते में ईसीएस के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा तत्काल भुगतान की जाने वाली राशि	राष्ट्रीयकृत बैंक के आवधिक जमा योजना में निवेश की जाने वाली राशि और इस पर वादिया के बचत खाते में जमा किए जाने वाला ब्याज
हर कौर पत्नी स्व0 रामेश्वर (मृतक की माता)	80,000/- (अस्सी हजार रूपए मात्र) संपूर्ण ब्याज सहित ।	7,20,000/- (सातलाख बीस हजार रूपए मात्र) यह राशि तीन साल के लिए आवधिक जमा के रूप में रखी जाएगी। तथापि, इस राशि पर भुगतान किया जाने वाले मासिक ब्याज को उसके बचत बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

23. प्रत्यर्थी रेल प्रशासन को एतद्वारा निर्णय की तिथि से 60 दिन की अवधि में इस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के पास निर्णित राशि जमा कराने के निर्देश दिए जाते हैं। इसमें विफल रहने पर वादिया दुर्घटना तिथि अर्थात् 09.03.2020 से अपर रजिस्ट्रार के पास राशि जमा कराने की वास्तविक तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के हकदार होगा।

24. वादिया को एतद्वारा रेल दुर्घटना तथा अनपेक्षित दुर्घटनाएं (क्षतिपूर्ति) नियम 1990 की अनुसूची संलग्नक-1 में उल्लिखित उनके निवास स्थान के

Scanned with OKEN Scanner

नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीय कृत बैंक के उनके आधार से जुड़े बैंक खाता विवरण इस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के पास जमा कराने के निर्देश दिए जाते है।

25. नियम व शर्तें:

(क) बैंक प्रशासन वादिया के बचत खाता या फिक्स्ड डिपोजिट खाता में किन्हीं भी नाम (नामों) को जोडने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् वादिया का उनका स्वयं का होगा और संयुक्त बैंक खाता नहीं होगा।

(ख) वादिया के उपर्युक्त बचत बैंक खाता में मासिक ब्याज इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम से जमा कराया जाए ।

(ग) एफडीआर की परिपक्वता राशि को के बचत बैंक खातों में इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम (ईसीएस) के द्वारा की जाए ।

(घ) आवधिक जमा (फिक्सड डिपोजिट) पर किसी भी प्रकार का ऋण, अग्रिम, निकासी या समय–पूर्व अदायगी का इस अधिकरण की बिना अनुमति के अनुमति नहीं होगी ।

(ङ) संबंधित बैंक समस्त वादियों को कोई भी चैक बुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। तथापि, डेबिट कार्ड और चैक बुक पहले जारी कर दिए जाने की स्थिति में, बैंक निर्णय राशि के वितरण से पूर्व इसे निरस्त कर देगा/बैंक प्रशासन प्रार्थियों के खाते को फ्रीज (बंद) कर

Scanned with OKEN Scanner

देगा ताकि इस बैंक की किसी अन्य शाखा से प्रार्थियों के खाते का कोई भी डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाए ।

(च) बैंक वादिया की पास बुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चैक बुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है या इस अधिकरण की बिना अनुमति के जारी किया जाएगा और वादी इस अधिकरण के अपर रजिस्ट्रार के समक्ष पास बुकों को विधिवत हस्ताक्षर करके आवश्यक पृष्ठांकन तथा बैंक की मुहर सहित प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात् बैंक वादिया 01 को निकासी फॉर्म के जरिए ही अपने बचत बैंक खाता से धन निकासी की अनुमति देगा।

(छ) प्रत्यर्थी रेलवे प्रशासन को आज तक के ब्याज सहित, यदि कोई हो गणना–पत्रक सहित निर्णय–राशि को जमा कराने के साक्ष्य को रिकार्ड पर रखने के भी निर्देश दिए जाते हैं और इसे अपर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगें।

26. इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में, तथापि खर्चे के व्यय हेतु कोई भी आदेश नहीं है। रजिस्ट्री को रेलवे दावा अधिकरण, (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम, (1989) के नियम 34(3) के लिहाज से प्रार्थियों को दावा आवेदन में उल्लिखित उनके डाक के पते पर इस निर्णय की सत्यापित प्रति निःशुल्क भेजने के निर्देश दिए जाते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

27. यह निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर जारी किया गया।

(झंजा त्रिपाठी)
सदस्य (तकनीकी)
रेदाअ/जयपुर पीठ

([illegible]श कुमार शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
रेदाअ/जयपुर पीठ